भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *78
04 दिसंबर, 2025 को उत्तर देने के लिए

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए पीएलआई योजना के अंतर्गत निवेश

***78. श्री चन्द्र प्रकाश जोशी:**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के अंतर्गत कुल कितना निवेश आकर्षित किया गया है;

(ख) देश में वर्तमान में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने मेगा फूड पार्क चल रहे हैं;

(ग) एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) पहल के अंतर्गत प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) राजस्थान में इस योजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री चिराग पासवान)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

दिनांक 04 दिसंबर, 2025 को उत्तर हेतु"खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए पीएलआई योजना के अंतर्गत निवेश" के संबंध में तारांकित प्रश्न संख्या *78 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफ़पीआई) के तहत, मंज़ूर आवेदकों ने ₹9,207 करोड़ का संचयी निवेश किया है।

(ख): एमओएफ़पीआई द्वारा मंज़ूर 25 मेगा फ़ूड पार्क पूरे देश में चालू हैं। इन पार्कों की राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के अनुसार जानकारी **अनुबंध-I** में दी गई है ।

(ग): खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान - वोकल फॉर लोकल पहल के एक हिस्से के तौर पर, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफ़पीआई) देश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को स्थापित करने/उन्नयन करने के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यापार सहायता देने के लिए एक केंद्र प्रायोजित "प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफ़एमई) स्कीम" लागू कर रहा है। यह स्कीम मुख्य रूप से एक जिला एक प्रोडक्ट (ओडीओपी) दृष्टिकोण अपनाती है जिसका मकसद देश के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है।ओडीओपी पहल के तहत, राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों ने मौजूदा इकोसिस्टम को ध्यान में रखते हुए, जिलों के तहत पहचाने गए उत्पादों को चुना है। इस स्कीम के तहत 35 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के 726 जिलों के लिए ओडीओपी को मंजूरी दी गई है। पीएमएफएमई योजना के तहत ओडीओपी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता का विवरण **अनुबंध-II** में है।
एमओएफ़पीआई ने 25 सितंबर से 28 सितंबर, 2025 तक नई दिल्ली में 'वर्ल्ड फ़ूड इंडिया' का चौथा संस्करण आयोजित किया। कई अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शकों के शामिल होने से, इस कार्यक्रम ने ओडीओपी-आधारित उत्पादों को घरेलू औरअंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के बीच ओडीओपी उत्पादों को दिखाने और प्रोत्साहित करने के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म दिया। इसके अलावा, ओडीओपी उत्पादों को विभिन्न राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी/मेलों के ज़रिए प्रोत्साहित किया जाता है।

इसके अलावा, वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपेडा) को भारत से कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने का काम सौंपा गया है। एपेडा अपने पंजीकृत निर्यातकों को कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्रोत्साहन योजना के तहत मदद देता है। यह मदद स्कीम के विभिन्न हिस्सों जैसे अवसंरचना विकास, गुणवत्ता विकास और बाजार विकास के तहत दी जाती है।

(घ): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पाद लिंक्ड प्रोत्साहन योजना(पीएलआईएसएफ़पीआई) के तहत, राजस्थान राज्य में मौजूद इन तीन आवेदकों को मंज़ूरी दी गई है:

क्रम संख्या	**आवेदक का नाम**	**क्षेत्र**	**ज़िला**	**स्थानों की संख्या /इकाइयाँ**	**निवेश (₹ करोड़)**
1.	बिकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड.	पकाने के लिए तैयार (आरटीसी) / खाने के लिए तैयार (आरटीई)	बीकानेर	4	261.67
2.	आईटीसी लिमिटेड	फल एवं सब्जियां	सीकर	1	7.10
3.	ओर्कला इंडिया लिमिटेड (पहले एमटीआर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)	फल एवं सब्जियां	कोटा	1	11.17
	कुल			**6**	**279.94**

*****

अनुबंध-/

दिनांक 04 दिसंबर , 2025 को उत्तर हेतु "खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए पीएलआई योजना के अंतर्गत निवेश" के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *78 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की मेगा फूड पार्क योजना के तहत स्वीकृत चालू मेगा फूड पार्क परियोजनाओं का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण

क्रम संख्या	एसपीवी/आईए नाम	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम	ज़िला
1	श्रीनि फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड	आंध्र प्रदेश	चित्तूर
2	गोदावरी मेगा एक्वा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड	आंध्र प्रदेश	पश्चिम गोदावरी
3	नॉर्थ ईस्ट मेगा फूड पार्क लिमिटेड	असम	नलबाड़ी
4	इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड	छत्तीसगढ	रायपुर
5	गुजरात एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड	गुजरात	सूरत
6	फणीधर मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड	गुजरात	मेहसाणा
7	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एचएसआईआईडीसी)	हरियाणा	सोनीपत
8	क्रेमिका फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश	ऊना
9	इंटीग्रेटेड फूड पार्क लिमिटेड	कर्नाटक	तुमकुर
10	केरल औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (किन्फ्रा)	केरल	पलक्काड
11	केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (केएसआईडीसी)	केरल	अलप्पुझा
12	इंडस मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड	मध्य प्रदेश	खरगोन
13	अवंती मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड	मध्य प्रदेश	देवास
14	सतारा मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड	महाराष्ट्र	सतारा
15	पैठन मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड	महाराष्ट्र	औरंगाबाद
16	ज़ोरम मेगा फ़ूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड	मिजोरम	कोलासिब
17	एमआईटीएस मेगा फूड पार्क लिमिटेड	ओडिशा	रायगढ़
18	इंटरनेशनल मेगा फूड पार्क लिमिटेड	पंजाब	फाजिल्का
19	सुखजीत मेगा फूड पार्क एंड इंफ्रा लिमिटेड	पंजाब	कपूरथला
20	ग्रीनटेक मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड	राजस्थान	अजमेर
21	स्मार्ट एग्रो फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड	तेलंगाना	निजामाबाद
22	सिकरिया मेगा फूड पार्क (पी) लिमिटेड	त्रिपुरा	पश्चिमी त्रिपुरा
23	पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क प्राइवेट लिमिटेड	उत्तराखंड	हरिद्वार
24	हिमालयन फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड	उत्तराखंड	उधम सिंह नगर
25	जंगीपुर बंगाल मेगा फूड पार्क लिमिटेड	पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद

*****

अनुबंध-//

दिनांक 04 दिसंबर , 2025 को उत्तर हेतु "खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए पीएलआई योजना के अंतर्गत निवेश" के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *78 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के अंतर्गत ओडीओपी उत्पादों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का विवरण निम्नानुसार है:

(i) व्यक्तिगत/समूह श्रेणी सूक्ष्म उद्यमों को सहायता: पात्र परियोजना लागत का 35% की दर से क्रेडिट-लिंक्ड पूंजी सब्सिडी, अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये प्रति इकाई;

(ii) प्रारंभिक पूंजी के लिए स्वयं सहायता समूहों को सहायता: कार्यशील पूंजी और छोटे औजारों की खरीद के लिए खाद्य प्रसंस्करण में लगे स्वयं सहायता समूहों के प्रत्येक सदस्य को 40,000 रुपये की दर से प्रारंभिक पूंजी दी जाएगी, जो प्रति स्वयं सहायता समूह संघ के लिए अधिकतम 4 लाख रुपये के अध्यधीन होगी।

(iii) सामान्य अवसंरचना के लिए सहायता: एफपीओ, एसएचजी, सहकारी समितियों और किसी भी सरकारी एजेंसी को सामान्य अवसंरचना स्थापित करने के लिए सहायता देने के लिए 35% की दर से ऋण से जुड़ी पूंजी सब्सिडी, जो अधिकतम 3 करोड़ रुपये के अध्यधीन होगी। सामान्य अवसंरचना की क्षमता का एक बड़ा भाग किराये के आधार पर उपयोग के लिए अन्य इकाइयों और आम जनता के लिए भी उपलब्ध ।

(iv) ब्रांडिंग और विपणन सहायता: एफपीओ/एसएचजी/सहकारिता समूहों या सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के एसपीवी को ब्रांडिंग और विपणन के लिए 50% तक अनुदान ।

(v) क्षमता निर्माण: इस योजना में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और उत्पाद विशिष्ट कौशल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उद्यमिता विकास कौशल (ईडीपी) के लिए प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है।